(5)

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अधिकारों और सुरक्षणों के उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन स्थापित एक संवैधानिक आयोग)

संख्या/ No 7/1/2010–Coord. दिनांक/ Date: 13/04/2010

प्रति,

श्री रवीन्द्र सागर,
डी-1, यमुना पुरम,
फेज II, बुलन्दशहर,
उत्तर प्रदेश - 203001

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराना – श्री रवीन्द्र सागर**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.02.2010 द्वारा आयोग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा आपको प्रदान की गई सूचना के संदर्भ में आपके द्वारा भेजी गई प्रथम अपील दिनांक 09.03.2010 का संदर्भ ग्रहण करें। लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी तथा आपके अपील पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी यथा उपलब्ध प्रदान कर दी गई है तथापि आपके द्वारा अपील के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि यह सारी जानकारी आपके द्वारा भेजे गए एक निश्चित प्रपत्र में प्रदान की जाए। इस संबंध में आपका ध्यान भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन क्रमांक 11/2/2008-आईआर दिनांक 10 जुलाई, 2008 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि

> **"यह नोट करना आवश्यक है कि उक्त प्रावधान का मतलब सिर्फ इतना भर है कि यदि जानकारी छायाप्रति के रूप में मांगी गई है तो यह छाया प्रति के रूप में मुहैया कराई जाए और यदि यह फ्लॉपी के रूप में मांगी जाती है तो अधिनियम में दी गई शर्तों के अधीन इसे फ्लॉपी के रूप में मुहैया कराया जाए इत्यादी। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना को नया रूप प्रदान कर उसे आवेदक को मुहैया कराएगा"।**

2. तथापि, आपके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया था तथा अभी भी किया गया है। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के साथ संलग्न विवरणी के विभिन्न स्तंभों का आपस में तारतम्य नहीं है। फिर भी आयोग में यथा उपलब्ध जानकारी स्तंभ अनुसार प्रदान की जा रही है। जैसा कि आपको पहले सूचित किया जा चुका है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वर्ष 2004 में अस्तित्व में आया था। तदानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी स्तंभवार निम्नानुसार है।

स्तम्भ सं	बिन्दु	जानकारी
2 एवं 3	आयोग में पदस्थ माननीय अध्यक्ष/ सदस्यों का नाम	**प्रथम आयोग का गठन**

नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
श्री कुंवर सिंह*	अध्यक्ष	15-03-2004
श्री तापिर गॉव**	उपाध्यक्ष	03-03-2004
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी	उपाध्यक्ष	29-05-2006

(5)

श्री लामा लोबजंग	सदस्य	02-03-2004
श्रीमती प्रेम बाई मंडावी	सदस्य	04-03-2004
श्री बूदरू श्रीनिवासुलु	सदस्य	11-03-2004

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्ष है।

* दिनांक 14.02.2007 को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया।

** श्री तापीर गाँव, उपाध्यक्ष ने दिनांक 31.03.2004 को अपने पद से त्याग पत्र दिया तथा श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी ने दिनांक 29 मई, 2006 को उपाध्यक्ष पद को ग्रहण किया एवं दिनांक 15.05.2007 से अपने पद से त्याग पत्र दिया।

द्वितीय आयोग का गठन:

नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
श्रीमती उर्मिला सिंह	अध्यक्षा*	18.06.2007
श्री मोरीस कुजूर	उपाध्यक्ष	25.04.2008
श्री छेरिंग सम्फेल	सदस्य	14.06.2007
श्री वरीस सीयम मारीयाव	सदस्य	17.04.2008
रिक्त	सदस्य	

* श्रीमती उर्मिला सिंह ने दिनांक 24.01.2010 को अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया।

4 आयोग में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या — आयोग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वर्तमान विवरणी संलग्न है।

5 भारत सरकार द्वारा आयोग पर किया गया खर्चा — भारत सरकार द्वारा आयोग को उपलब्ध कराए गए बजट में से वर्षवार किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष 2005-06	456 लाख रूपए
वर्ष 2006-07	439 लाख रूपए
वर्ष 2007-08	432 लाख रूपए
वर्ष 2008-09	432 लाख रूपए
वर्ष 2009-10	508 लाख रूपए

6 से 9 उत्पीड़न के केसों की संख्या

निवारण (हल) किए गए केसों की संख्या

संविधान के अनुच्छेद 388क के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को दिए गए कार्य क्षेत्र की जानकारी संविधान के अनुच्छेद 338क (5) में दी गई है। आयोग में विभिन्न प्रकार की शिकायतों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इन अभ्यावेदनों में उठाए गए बिन्दुओं पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन संबंधित विभाग से मंगा कर जांच की जाती है कि क्या अभ्यावेदक के साथ कोई भेदभाव अथवा उसके अधिकारों का हनन हुआ है अथवा नहीं । यदि जांच में भेदभाव अथवा अधिकारों के हनन का मामला पाया जाता है तो संबंधित विभाग को सिफारिश की जाती है कि वे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभ्यावेदक को न्याय एवं अधिकार सुनिश्चित करें। प्रकरण का निपटारा इस बात पर निर्भर करता है कि इस प्रक्रिया में संबंधित विभाग द्वारा

		उत्तर देने में कितना समय लिया जाता है तथा प्राप्त उत्तर अथवा विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से अभ्यावेदक कितना संतुष्ट है। अतः किसी मामले को संतुष्टि के साथ निपटाने हेतु समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आयोग मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ष 2004 से 2009 में 3895 प्रकरण दर्ज किए गए थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनमें से कुल 1748 प्रकरणों में कार्यवाही जारी है। अद्यतन जानकारी अभी संकलित नहीं है प्रकरणों में अन्वेषण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने में समय लगता है। आयोग में काफी संख्या में ऑपरेशनल पद रिक्त हैं जिससे सभी प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कर समाधान करवा पाना संभव नहीं हैं। हर वर्ष प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तथापि, आयोग में प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्यवाही की गई है परन्तु सभी में समाधान कार्यवाही पूरी नहीं हुई हैं। तथापि उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 में क्रमशः 45, 103 एवं 120 महत्वपूर्ण प्रकरण निपटाए गए।
10 एवं 11	कितने केसों में उत्पीड़न करने वाले को आयोग द्वारा आर्थिक/ अनुशासनात्मक कार्यवाही द्वारा दण्डित किया गया	उत्पीड़न के मामलों में राष्ट्रीय आयोग द्वारा अन्वेषण के अलावा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करना अथवा किसी न किसी प्रकार से दण्डित करने का अधिकार नहीं है।
12	उत्पीड़न निवारण करने में लिया गया समय	जैसा कि ऊपर जानकारी दी गई है, किसी भी प्रकरण में लगने वाले समय को निर्देशित नहीं किया जा सकता, चूंकि संबंधित विभाग से, नियमानुसार की गई कार्यवाही के संबंध में उचित उत्तर प्राप्त होने तक तथा अभ्यावेदक की संतुष्टि पर ही प्रकरण में निपटान का समय निर्भर होता है।
13	भारत सरकार द्वारा निवारण हेतु स्वीकृत निर्देशित समय	
14	भारत सरकार द्वारा की गयी समीक्षा का निर्णय/ टिप्पणी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य निष्पादन का समीक्षा अध्ययन भारत सरकार के डी.ए.आर.पी.जी. के निर्देश पर नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा की गई थी। इस संबंध में जानकारी जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त हुई थी। यह जानकारी भारत सरकार के डी.ए.आर.पी.जी. अथवा जनजातीय कार्य मंत्रालय से ही प्राप्त करना उचित होगा।

3 आपके अपील आवेदन में आयोग से संबधित अधिनियम, अनुच्छेद 338क की जानकारी भी चाही गई है। इस संबंध में संविधान (89वां) संशोधन अधिनियम 2003 [Constitution (89th) Amendment Act, 2003] की प्रति संलग्न है। उपरोक्त जानकारी के अलावा यदि आप किसी विशेष संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूर्वानुमति लेकर आयोग में आकर किसी विशेष संदर्भ से संबंधित फाईल को भी आप देख सकते हैं तथा उपलब्ध जानकारी/ प्रपत्र की प्रति निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आपको प्रदान की जा सकती है।

जारी किया
ISSUED
2092-93
13/4/2010

(आदित्य मिश्रा)
संयुक्त सचिव एवं
अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थः लोक सूचना अधिकारी, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001